उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
सं0– 195/XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019

अधिसूचना संख्या– 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019 दिनांक 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की 200 प्रतियां तैयार कर अबिलम्ब वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
सं0– 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 (1) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। विज्ञापन का आकार (साइज) न्यूनतम रखा जाय।	10 (1) समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदाऐं निम्नानुसार आमंत्रित की जाऐगी:– (क) रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) तथा उससे अधिक अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। (ख) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक एवं रू0 5.00 करोड़ से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में।

(ग) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में।

(घ) विज्ञापन का आकार (साइज) यथासम्भव न्यूनतम रखा जायेगा।

नियम 32 का संशोधन।

2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
32. राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग /खादी/सूक्ष्म उद्यम को कय/मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु राज्य में 4000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/इकाईयों में निर्मित सामग्री पर शासकीय खरीद में 15 प्रतिशत तक Purchase के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।	**32.** राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufacture) करने वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों (कुटीर, खादी हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) को सामग्री एवं सेवाओं हेतु प्रत्येक आमंत्रित निविदा की मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा तक कय वरीयता इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगी कि यदि प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम दर (L1) के L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों /क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15) तक मूल्य उद्धत किया गया हो तो उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे: परन्तु यह कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों को L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई कय वरीयता प्रदान नहीं की

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

जायेगी:

परन्तु यह और कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

नियम 60 (1) का संशोधन।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 60 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0 बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 40.00 लाख से कम हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाय परन्तु जहां लागत रू0 40.00 लाख से अधिक हो, चयन प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।	60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 1.00 करोड़ तक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी परन्तु जहां लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक हो, चयन प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 261/VII-2-14/143-उद्योग/2003
देहरादूनः दिनॉकः 19 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3396/VII-II(08)/143-उद्योग/2003 दिनांक 30 जून, 2009 एवं संख्या 1864/VII-II-09/143-उद्योग/2003 दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत नीति को अतिक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर एवं खादी सहित) उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय उपापन (Procurement) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत सार्वजनिक उपापन नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति, 2014

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति, 2014" है।

(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. क्रय वरीयता नीतिः

(क) यह नीति उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रों में "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम"-2006 (MSMED Act-2006) के अंतर्गत "सूक्ष्म तथा लघु उद्यम" के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग-2 (E.M. part-II) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो तथा शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो।

(ख) यदि सार्वजनिक खरीद में राज्य सरकार या उसके विभागों/संस्थाओं/निकाय/उपक्रमों द्वारा आई0एस0आई0, आई0एस0ओ0 अथवा अन्य विशेषिकृत उत्पादों को खरीदे जाने की आवश्यकता हो तो, ऐसे उत्पादों के विशिष्टियों एवं मानकों का विवरण निविदा में ही दे दिया जाये, ताकि गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) से क्रय वरीयता नीति के अनुसार सामग्री का उपापन (Procurement) किया जा सके। गुणवत्ता/मानकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए निविदा में सहभागी ऐसे उद्यमों के पास राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रादेशीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं के प्रमाण-पत्र होने आवश्यक है। राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) में अपना पंजीकरण कराकर उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि निविदा में सहभागी उद्यमों की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) द्वारा राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों के उत्पादन व आपूर्ति क्षमता के आंकलन/पंजीकरण हेतु गठित समिति में संबंधित जनपद के महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को भी सहभागी बनाया जायेगा। योजना के प्रथम वर्ष में यदि इकाई द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 (NSIC) में पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया गया है, लेकिन क्षमता आंकलन नहीं हो सका है, तो

Scanned with CamScanner

इकाई के शपथ पत्र तथा अधिकृत चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित क्षमतांकन के आधार पर क्षमता को स्वीकार किया जा सकेगा।

(ग) क्रय वरीयता नीति के अंतर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का कियान्वयन किया जायेगा।

(घ) क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना, प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को प्रदेश की मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर (L_1) से अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत हो।

(ङ) निविदा मे प्रदेश की सहभागी सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने L_1 + 20 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L_1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। प्रदेश की ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रूप में (नियदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

(च) जहां पर निविदा में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अतिरिक्त प्रदेश के मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यम सहभागी हों और उनके द्वारा निविदा में दी गयी दर न्यूनतम (L_1) हो, वहां पर निविदा में अंकित सामग्री की कुल मात्रा की 50 प्रतिशत आपूर्ति प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से प्रस्तर–(ङ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार की जायेगी और अवशेष 50 प्रतिशत की आपूर्ति निविदा में न्यूनतम दर (L_1) देने वाले निविदादाता से की जायेगी।

(छ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित/परिवर्धित नीति–2011) में अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म व लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम, जिसने L_1 + 30 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L_1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे।

(ज) यदि पर्वतीय क्षेत्र की इकाईयां आपूर्ति हेतु पात्र पायी जाती है, तो निविदा में सहभागी प्रदेश के समस्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निश्चित की गई सामग्री आपूर्ति की मात्रा में से 50 प्रतिशत का उपापन पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उत्पादन क्षमतानुसार किया जायेगा।

(झ) यदि निविदा में प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा भाग लिया जाता है, तो दरों की तुलना मूल्य वर्धित/व्यापार कर रहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी।

(ञ) शाराकीय क्रय करते समय यदि ऐसी निविदा प्राप्त होती है, जिसमें केवल प्रदेश के बाहर की इकाईयां भाग लेती हैं, तो उसमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई को ही स्वीकार किया जायेगा एवं दरों की तुलना व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी।

3. निविदा मूल्यः व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदादाता विभाग/संस्था/निकाय/उपक्रम द्वारा निःशुल्क निविदा प्रपत्र (Tender Form) उपलब्ध कराकर निविदा में मांगी गयी अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money)/प्रतिभूति राशि में विशेष रियायत दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

4. प्रदेश से बाहर की इकाईयों के लिए निविदा में निश्चित धरोहर/प्रतिभूति राशि (EMD/Security or Performance Security) की तुलना में प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से निम्नलिखित प्रकार से धरोहर/प्रतिभूति राशि (EMD/Security or Performance Security) ली जायेगी:-

क0सा0	विवरण	प्रदेश के बाहर की इकाईयों की तुलना में	
		निश्चित धरोहर राशि (EMD) का	निश्चित प्रतिभूति राशि (Security or Performance Security) का
1.	सूक्ष्म, कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प इकाईयां	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	लघु उद्यम इकाईयां	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत

5. राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर (Average Annual Turnover), विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण-पत्र (Manufacturing Experience/Supplied Quantity, Operational Experience /Performance Certificate) प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre-qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। यदि इस प्रकार की छूट दिया जाना संभव न हो, तो, उस शर्त की उपयुक्तता पर संबंधित क्रयकर्ता विभाग/परिषद्/निकाय /निगम/संस्था द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का अभिमत प्राप्त कर, अपने शासी निकाय अथवा प्रशासनिक विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेगें।

6. शासकीय क्रय का तात्पर्य, उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त शासकीय विभागों/ निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों/निकाय आदि के द्वारा किये जाने वाले सामग्री/ सेवाओं के उपापन से होगा।

7. प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपकम/निकाय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वर्ष में कुल क्रय सामग्री का कम से कम 30 प्रतिशत उपापन प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कर लें, किंतु जहां यह खरीद वर्ष में रू0 5.00 लाख से कम की होती है, वहां पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। शासकीय विभाग/निगम/प्राधिकरण/संस्थान/निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष में की गई कुल खरीद की मात्रा एवं धनराशि विवरण (Statement) उद्योग निदेशालय को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगें। जिन संस्थाओं/निगमों के आर्थिक चिटठे बनाये जाते हैं, वे उक्त विवरण के साथ Statutory Auditor's (C.A.) का प्रमाण पत्र भी देंगे।

8. क्रय वरीयता नीति के प्रभावी कियान्वयन तथा Grievance Redressal Mechenism को सुदृढ़ करने हेतु सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक Grievance Redressal & Review Committee का गठन किया जायेगा। इस समिति में निदेशक, उद्योग क्रयकर्ता विभाग/उपकम/निकाय/संस्था के विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख दो उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

9. सभी शासकीय विभाग/उपकम/निगम/निकाय/संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष उपादान की जाने वाली सामग्री/वस्तु/सेवाओं की अनुमानित आवश्यकताओं की कुल मात्रा, वस्तु/ सेवाओं की मदों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित कर इसकी सूचना उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि शासकीय

Scanned with CamScanner

उपापन में पारदर्शिता के साथ-साथ प्रदेश के उद्यमों को शासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्थाओं की वार्षिक खरीद की आवश्यकताओं के बारे में पूर्व से ही सभी सूचनायें प्राप्त हो सकें।

10. यदि उत्तराखण्ड में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थायें अथवा उनके द्वारा संचालित इकाइयां सूक्ष्म व लघु उद्यमों की श्रेणी में आती हैं, तो उन पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू रहेंगे।

11. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्राविधानों के तहत सभी संबंधित विभाग सामग्री/सेवाओं का उपापन स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन (Delegation of powers) के आधार पर करेंगे।

12. क्रय वरीयता निविदा द्वारा उपापन में प्रदेश में स्थापित उत्पादन एवं सेवायें प्रदान करने वाले सूक्ष्म व लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को ही अनुमन्य होगी।

13 टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यों में भी आपूर्तिकर्ता फर्म/क्रियान्वयन संस्था के साथ यह भी शर्त अनिवार्यता रखी जायेगी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल क्रय की गयी मात्रा का कम से कम 30 प्रतिशत उपापन (Procurement) प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से किया जायेगा। सभी फर्म/संस्था सम्बन्धित विभाग /निगम/निकाय/संस्थान को इस संबंध में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेंगे।

14. सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिये क्रय वरीयता नीति का पर्यवेक्षण अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। समिति मॉनटरिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर भी विकसित करेगी।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 26\(1)/VII-2-14/143-उद्योग/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
10. गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।

Scanned with CamScanner

संख्या : 117 / III(2)/07--76(सामान्य)/2000

प्रेषक,

डॉ. एस.एस.सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग--2 देहरादून: दिनांक : फरवरी 2? 2014

विषय :— लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2611/ III(2)/07--76(सामान्य)/2000, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 एवं तदोपरान्त संगत अन्य निर्गत शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता के माध्यम से मात्रा संवर्धन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित निविदा प्रणाली के कतिपय प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) चयनित अनुबन्ध (Selection Bond) की व्यवस्था :
अपरिहार्य परिस्थितियों में खण्ड के अधिशासी अभियन्ता पूर्व निर्गत सीमा ₹ 10.00 लाख के स्थान पर ₹ 15.00 लाख लागत तक के कार्य हेतु चयनित अनुबन्ध कर सकेंगे।

(2) ई—निविदा की सीमा :
ई—निविदा एवं टू—बिड सिस्टम (E-Tendering & Two Bid System) के अनुसार निविदा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के सम्बन्ध में ही की जायेगी।

(3) टर्न ओवर (Turn Over) हेतु मानदण्ड :
निविदादाता का टर्न ओवर, निविदा से सम्बन्धित कार्य की लागत का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

(4) कार्यानुभव हेतु मानदण्ड :
निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि का 25 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(5) एक से अधिक कार्यों को पैकेज (Package) बनाया जाना :
यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक कार्यों के पैकेज बनाने हेतु उतने ही कार्य लिए जायेंगे जिनकी कुल लागत ₹ 1.50 करोड़ से अधिक हो। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के ऐसे कार्यों, जिनकी ई—निविदा एवं टू बिड सिस्टम में निविदा होनी आवश्यक हो, को मिलाकर पैकेज अपरिहार्य परिस्थितियों में बनाया जायेगा। पैकेज बनाने या न बनाने का निर्णय सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से लिया जायेगा।

(6) ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण :
ठेकेदारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत एवं पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी :—

(अ) श्रेणी--ए : ठेकेदार किसी भी सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी--बी : ठेकेदार ₹ 2.00 करोड़ से अनधिक लागत तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

Scanned with CamScanner

(घ) श्रेणी-सी : ठेकेदार ₹ 1.00 करोड़ से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ङ) श्रेणी-डी : ठेकेदार ₹ 50.00 लाख से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(7) कार्यों की निविदा में भाग-1 व भाग-2 के कार्यों का भिन्न-भिन्न अनुभव :-

₹ 1.50 करोड़ तक की सीमा के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की निविदा में ही भाग-1 व भाग-2 के कार्यों का भिन्न-भिन्न अनुभव होना आवश्यक होगा।

(8) परफारमेंस सिक्योरिटी (Performance Security):

₹ 1.50 करोड़ तक के कार्य हेतु 2 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी तथा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्य हेतु पूर्ववत् 5 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी ली जायेगी तथा अवशेष सिक्योरिटी मनी चालू बैयकों से समायोजित की जायेगी।

3. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। विषयगत पूर्व निर्गत शासनादेशों के समस्त प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे और शेष प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः कृपया उपरोक्त संशोधनों को समस्त अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1192 / III(2)/07-15(सामान्य)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, वित्त के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आवास मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23-लखमी रोड़, लाखनवाला देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. लोक निर्माण अनुभाग-1,2,3, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह नयाल)
अपर सचिव, लो.नि.वि.

Scanned with CamScanner

(L-I(A))/
FC

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग–अनुभाग–2
संख्या–2087/III (2)/17–75(सामान्य)/2000 टी०सी०
देहरादून दिनांक 16 अगस्त, 2017

: कार्यालय ज्ञाप :

उत्तर प्रदेश शासन के पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–2204एल/10/एमएस–7 (जी–3)/92 दिनांक 02 नवम्बर, 1993 के द्वारा निविदा फार्म फीस तथा पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क आदि को पुनः निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित निविदा फार्म शुल्क वर्तमान में प्रासंगिक न होने तथा राज्य की आय के संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश संख्या–2204एल/10/एमएस–7 (जी–3)/92 दिनांक 02 नवम्बर, 1993 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्न तालिका के कॉलम– II में उल्लिखित कार्य की लागत के अनुसार कॉलम– III में उल्लिखित निविदा फॉर्म शुल्क निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र०सं०	कार्य की लागत	निविदा फॉर्म की निर्धारित दरें (धनराशि ₹ में)	
I	II	III	Net
1	रू0 1.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक	₹ 500.00 + जी एस टी	590/-
2	रू0 5.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक	₹ 1000.00 + जी एस टी	1180
3	रू0 10.00 लाख से रू0 20.00 लाख तक	₹ 1500.00 + जी एस टी	177
4	रू0 20.00 लाख से रू0 30.00 लाख तक	₹ 2000.00 + जी एस टी	236
5	रू0 30.00 लाख से रू0 40.00 लाख तक	₹ 2500.00 + जी एस टी	295
6	रू0 40.00 लाख से रू0 50.00 लाख तक	₹ 3000.00 + जी एस टी	35
7	रू0 50.00 लाख से रू0 150.00 लाख तक	₹ 4000.00 + जी एस टी	4

2 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 60/XXVII/(7)/2017 दिनांक 01 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः.....2 पर

Scanned with CamScanner